निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 98/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

प्रकाश उर्फ भैरू पुत्र पेमा जाति माली निवासी खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती अपर्णा शर्मा लिंक ऑफिसर सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर।
2. सेडूराम पुत्र छाजू,
3. शंकर लाल पुत्र छाजू,
4. दमा पुत्री बिरदा पत्नी श्याम लाल निवासी चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
5. गंगा पुत्री बिरदा पत्नी संतोष निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
6. विमला पत्नी चौथमल,
7. सुमन पुत्री चौथमल,
8. नीतू पुत्री चौथमल,
9. संगीता पुत्री चौथमल,
10. मन्नी पुत्री चौथमल,
11. शंकर पुत्र छाजूराम,
12. ओम प्रकाश पुत्र छाजूराम,
13. लालचन्द पुत्र छाजूराम,
14. भूरी बेवा छाजूराम समस्त जाति माली, निवासी ग्राम खोरा श्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

(मुहर: जिला कलक्टर जयपुर)

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 53/2013 व टी॰ आई॰ प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 ब उनवानी बिरधा व अन्य बनाम प्रकाश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री किशन मीणा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 व 11 लगायत 14 की ओर से।

निर्णय दिनांक 16.06.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 53/2013 व टी॰ आई॰ प्रार्थना पत्र संख्या 14/2022 ब उनवानी बिरधा व अन्य बनाम प्रकाश व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 6 व 11 लगायत 14 की ओर से श्री मुकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद के साथ अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 14 ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ने प्रार्थना पत्र संख्या 76/2004 निर्णय दिनांक 31.10.2012 को अन्तिम रूप से निर्णित कर दिया गया, जिसकी अपील भी अप्रार्थी–वादी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई जो आज भी विचाराधीन है। उसके पश्चात भी अप्रार्थी वादीगण प्रार्थी–प्रतिवादी की भूमि को हड़प करने की गरज से उस पर नाजायज रूप से दबाव बनाये जाने की गरज से एक दूसरा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर की लिंक आफिसर श्रीमती अपर्णा शर्मा ने प्रार्थी के विरूद्ध अन्य वाद में दिनांक 27.04.2022 के प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 को पक्षपात पूर्ण तरीके से प्रार्थी के विरूद्ध फैसल कर दिया। प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है। चूंकि पूर्व में प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 को विधि विरूद्ध तरीके से बिना पक्षकारों को सुने निर्णित किया गया है। इसलिए प्रार्थी को संदेह होता है। दिनांक 28.04.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूमि के मौके पर जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने पर एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी श्रीमती अपर्णा शर्मा से मेरी बातचीत हो चुकी है। अन्य प्रार्थना पत्र टी॰ आई॰ में आपके विरूद्ध हमने कुछ समय में ही प्रार्थना पत्र टी॰ आई॰ में आपके विरूद्ध हमने कुछ समय में ही टी आई आदेश भी अपने पक्ष में पारित करवा लिये है और दिनांक 04.05.2022 को तुम्हारा दावा भी मै खारिज करवा दूंगा । इस प्रकार की धमकी दिये जाने पर उसी दिन प्रार्थी उक्त टी आई फैसले की नकल लेने हेतु अपने अधिवक्ता की सीट पर गया तब उस समय सेडूराम ए सी एम आमेर के चैम्बर सें हंसता हुआ निकला तब मेरे को सामने देख कर हंसता हुआ निकल गया । इस प्रकार प्रार्थी को पूर्ण रूप से अंदेशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिला हुआ है तथा उसे अनुचित लाभ पहुंचाने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण चालाक किस्म के व्यक्ति है । अप्रार्थीगण प्रार्थी को धमकी देते है कि हम तुम्हारी आराजीयात को हमारे नाम करवा लेंगे तथा तुम्हें जबरन बाहुबल के आधार पर बेदखल करके रहेंगे । आपको जो करना हो वो कर लेना इस मुकदमें में जीत हमारी ही होंगी । प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.04.2022 को न्यायालय में उस्थित होकर उक्त वाद में तारीख लेने के लिये पहुंचा तो पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख देने से मनाकर दिया गया एवं बहस करने के लिए जबरन दबाव बनाया गया तथा प्रार्थी को भी हिदायत दी गई कि आप अपने अधिवक्ता के अतिशीघ्र बुला कर इसमें बहस करें। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के काफी हाथ पैर जोड़ने के पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.05.2022 दी गई तब अप्रार्थी संख्या 2 ने न्यायालय के बाहर आते ही कह दिया कि 4.5.2022 को बहस सुनी जावेगी और फैसला भी मेरे पक्ष में ही आयेगा। अप्रार्थी संख्या 1 के व्यवहार से भी जाहिर हुआ है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को जो पूर्व में धमकी अपने पक्ष में मुकद्दमें का फैसला करवाने की दी

जिला कलक्टर
जयपुर

थी वो अप्रार्थी संख्या 1 के व्यवहार से सही प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा । इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय ने अपने अनेको निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नहीं होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति में प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रकण 18 वर्ष से लम्बित हो कर वर्ष 2021 से अन्तिम बहस में विचाराधीन है। अब प्रार्थी अन्तिम बहस नहीं करना चाहता और हस समय येनकेन प्रकारेण तारीख लेने का प्रयास करता रहता है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से ही काल्पनिक व झूंठे तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRD 194 Page 117 or RRT 2006-07 (Supp) Page 435 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है जिनमें फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस मामले में भी प्रार्थी ने कोई ठोस आधार पेश नहीं किया है, केवल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 20.04.2021 को वास्ते निर्णय रखी गई थी। किन्तु कोविड महामारी के कारण निर्णय पारित नहीं किया जा सका था। जिससे पत्रावली पुनः बहस में नियत है। प्रकरण 18 वर्ष से लम्बित होकर अन्तिम बहस में नियत है। पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छोटी छोटी तारीख दी जाकर सर्वोच्च गुणवता के आधार पर निस्तारण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को निर्णय से येनकेन विलम्बित रखे जाने के उद्देश्य से न्यायालय पर अनुचित दबाव भी बनाया है, जिसमे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा किस भी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देने एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्क विलम्ब के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया या है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोइ आपत्ति नहीं है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

8. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रकरण 18 वर्ष से लम्बित होकर अन्तिम बहस में नियत है। पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार छोटी–छोटी तारीख दी जाकर सर्वोच्च गुणवता के आधार पर निस्तारण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 15/2022 में उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर स्थगन आदेश दिया गया है । इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने

जिला कलक्टर
जयपुर

किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करने से मात्र कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRD 194 Page 117 or RRT 2006-07 (Supp) Page 435 पूर्ण रूप से चस्पा होते है। जिनमें कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं माना है। सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने पर यह परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर की लिंक पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

11. निर्णय आज दिनांक **16.06.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

16/6/22

(सजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर